मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2018-20 /R.N.I. No. 66400/97

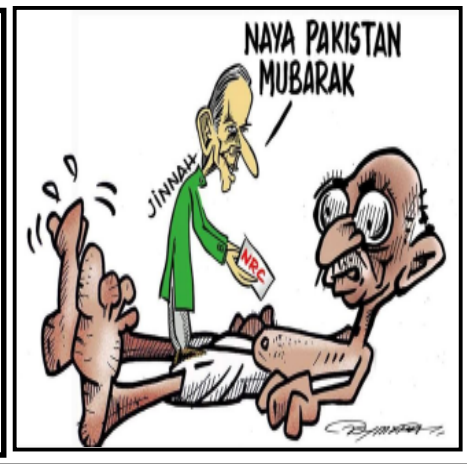

किसानों को पैसे का इंतजार 3
कलम नहीं कट्टे की इज्जत 4
शाहीन बाग का मजबूत भारत 5
शरजील इमाम की कहानी 6
अमितशाह का पलीता 8

वर्ष 33 अंक 12 फ़रीदाबाद 2-8 फ़रवरी 2020 फोन -8851091460 ₹2.50

ऐय्याशी का शिकार हुआ था डीसीपी

एफ़एसएल हैदराबाद से हुई पुष्टि

फ़रीदाबाद (म.मो.) 14 अगस्त 2019 को आत्महत्या करने वाले एनआईटी डीसीपी विक्रम कपूर केस की जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी इन्स्पेक्टर अब्दुल शाहिद, कश्मीरी महिला व डीसीपी कपूर के मोबाइल फ़ोन जांच के लिये एफ़एसएल हैदराबाद भेजे थे। करीब दो-तीन सप्ताह पहले वहां से आ चुकी रिपोर्ट के बारे में न तो पुलिस प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं और न ही एसीपी क्राइम। हां, एक तथाकथित राष्ट्रीय अखबार में जरूर 'सूत्रों' के माध्यम से छपवा रहे हैं कि वहां से आई जांच रिपोर्ट में वह वीडियो मिल गयी है जिसके जरिये डीसीपी को ब्लैकमेल किया जा रहा था अथवा किया जा सकता था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया बताते हैं कि वीडियो गुप्त कैमरे द्वारा किसी होटल में बना कर मोबाइल में डाली गयी थी। 'सूत्र' अभी इस बात को छुपा रहे हैं कि यह वीडियो उक्त तीनों में से किसके मोबाइल में मिली। यह भी नहीं बता रहे कि यह किस होटल की है।

पुलिस द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो चालान कोर्ट में पेश किया गया था उसमें स्पष्ट लिखा है कि कपूर साहब उस कश्मीरी महिला के साथ मौज-मस्ती करने सूरजकुंड क्षेत्र में स्थित एक पंचतारा होटल विमांता में गये थे। जाहिर है यह वीडियो भी उसी होटल में तैयार किया गया होगा। चालान को पढने से पता चलता है कि पुलिस ने होटल वालों से न तो कोई पूछताछ की और न ही वहां से कोई चीज़ कब्ज़े में ली। परन्तु यह असम्भव है कि पुलिस ने वहां के सीसी टीवी की फुटेज व एंट्री रजिस्टर कब्ज़े में न लिये हों; यह भी असम्भव है कि पुलिस ने होटल स्टाफ़ से उक्त जोड़े के आने-जाने के समय के बारे में न पूछा हो और वे कितनी बार यहां आ चुके थे यह भी जरूर पूछा होगा;परन्तु ये सब जानकारियां चालान के माध्यम से सार्वजनिक करने से पुलिस बचना चाहती थी। चालान में होटल के किसी भी कर्मचारी का कोई बयान नहीं है। लेकिन अब पुलिस को उनसे भी बयान लेने पड़ सकते हैं। यदि बयान लेकर भी छिपाये गये थे तो अब सार्वजनिक करने पड़ेंगे क्योंकि गुप्त कैमरे द्वारा वीडियो बनाये जाने की पुष्टि होने पर होटल वाले भी संदेह के घेरे में तो आते ही हैं। कानूनी बहस में जब केस उलझेगा तो यह सवाल भी खड़ा होगा कि वीडियो बनाने से किसको क्या लाभ हो सकता है? इस पर तीनों पक्ष एक दूसरे पर कीचड़ तो उछालेंगे ही।

अब पुलिस के सामने बड़ी समस्या यह है कि उस महिला का क्या करें? उसे आईपीसी की धारा 120 बी के तहत मुल्ज़िम बनायें या सरकारी गवाह? पुलिस के सामने दो चैलेंज हैं, एक तो आरोपी इन्स्पेक्टर अब्दुल को सज़ा कराना, दूसरे उस महिला को वह सब उगलने से रोके रखना जिसमें उन तमाम उच्च पुलिस अधिकारियों के नाम आ सकते हैं जिनकी सेवा में अब्दुल ने उसे अर्पित किया होगा।

सम्पादक ने एसआईटी से आशंका जता दी थी: दो पुलिस अफ़सरों ने अपने निजी खुंदक निकालने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' संपादक सतीश कुमार को भी बिना बात के इस केस में लपेटने का पूरा प्रयास किया था, जिन्हें हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। शामिल तफ़तीश होने पर 26 सितम्बर को एसआईटी मुखिया अमिताभ सिंह ढिल्लों आईजी ने जब कपूर आत्म हत्या के कारण पर उनकी राय जाननी चाही थी तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 36-37 साल पुलिस की नौकरी करके आईपीएस बनने वाला अधिकारी इस लिये तो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा कि किसी ने उसकी रिश्वत लेते हुये की वीडियो बना ली है या दफ़्तर की किसी फ़ाइल में उसका कोई बड़ा घोटाला पकड़ा गया है।

वह केवल उसी हालत में सुसाइड कर सकता है जब उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। सार्वजनिक तौर पर इस केस में जिस कश्मीरी महिला का चर्चा हो रहा है उसके साथ किसी प्रकार की वीडियो के वायरल होने के भय के चलते सुसाइड संभव हो सकता है। इस पर ढिल्लों साहब ने कहा कि उन्होंने उस महिला को दो बार इंटेरोगेट कर लिया है, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई है। जवाब में सम्पादक ने कहा कि यह तो आप जानो और आपकी तफ़तीश,आपने आत्महत्या के संभावित कारण बारे पूछा था सो बता दिया।

इस सारे मामले में बेशक पुलिस ने अब्दुल शाहिद को दोषी मानकर चालान किया है, परन्तु कम दोषी तो कपूर भी नहीं था जो अपने एक मातहत के सामने इस कदर नंगा हुआ पड़ा था। इन दोनों के अलावा वे उच्चाधिकारी भी कम दोषी नहीं ठहराये जा सकते जिनकी बदौलत अब्दुल एक के बाद एक पदोन्नति पाने के साथ-साथ मलाईदार तैनातियां पाता चला गया। वही अधिकारी कपूर की मौत के लिये जिम्मेदार हैं जिन्होंने कपूर के बारे में बहुत कुछ प्रकाशित होने के बावजूद प्रभावशाली संरक्षण के चलते उसे यहां तैनात रखा। इतना ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री ब्रह्म दत्त द्वारा इस बाबत उच्चतम प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखे जाने के बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी।

साप्ताहिक कॉलम : सुरक्षा विशेषज्ञ

अमित शाह की छवि में दिल्ली पुलिस

30 जनवरी गाँधी शहादत की बरसी के अवसर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संविधान विरोधी छवि में नजर आयी। गांधी समाधि, राजघाट पर दिल्ली पुलिस के एक-एक सिपाही के चेहरे पर, जो प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव के नेतृत्व में नागरिकता कानून विरोधी सत्याग्रही जत्थे को रोकने वाली पुलिस टीम के सदस्य थे, यह सन्देश साफ पढ़ा जा सकता था। दिल्ली पुलिस, कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों के हनन की एजेंट बना दी गयी है।

भारतीय तंत्र में पुलिस और सत्ता का जैसा परस्पर गठजोड़ है, उसमें यह स्वाभाविक है कि पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों को समझे और तदनुसार जनता को हांके या खामोश बनी रहे। हाल के जेएनयू पर नकाबपोश हमले के समय दिल्ली पुलिस द्वारा हाथ पर हाथ धरे रहने के क्रम में उसका यह रवैया जरा भी छिपा नहीं रह गया था।

राजघाट के उपरोक्त प्रकरण से कुछ घंटे पहले दिल्ली पुलिस का एक और अमित शाह वफादारी प्रदर्शन जामिया विश्वविद्यालय के गेट पर भी घट चुका था। यहाँ गत नवम्बर से नागरिकता कानून विरोधी मोर्चा लगाये छात्र गाँधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट तक जुलूस निकालने की तैयारी में पुलिस अवरोधों से दो-चार हो रहे थे। अचानक 'देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को' जैसे हिन्दुत्ववादी नारों से भड़का बजरंग दल का लड़का छात्रों को चुनौती देते हुए बेरोक-टोक उन पर गोली चलाने लगा। यह भी साफ हुआ कि वहां मौजूद निष्क्रिय पुलिस दल को तमाशबीन से कुछ अधिक होना गवारा नहीं।

राजनीतिक मिलीभगत की पुलिसिंग कोई नयी बात नहीं जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरीकों से कानून को तोड़-मरोड़ कर प्रभावशाली के पक्ष में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसे अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जैसों का नेतृत्वकारी आयाम मिल जाये तो स्वयं संविधान भी छिपता-छिपाता ही गुजर करेगा।

गुजरात में नरेंद्र मोदी के लम्बे मुख्यमंत्रित्व काल में अमित शाह वर्षों गृह मंत्री रहे, भारतीय राजनीतिक इतिहास में अकेले गृह मंत्री जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तड़ीपार होना पड़ा था। 2002 मुस्लिम पोग्राम के दौर में जिस गुजरात ने पुलिस की निष्क्रिय मिलीभगत का लोमहर्षक नजारा देखा था, वहां बाद के वर्ष, अमित शाह के मार्गदर्शन में, पुलिस की सक्रिय मिलीभगत के चलते, गढ़ी गयी पुलिस मुठभेड़ों के लिए जाने गए। आज दिल्ली में भी पुलिस इसी मिलीभगत वाली सक्रियता और निष्क्रियता के दोनों रूपों में अमित शाह ब्रांड के प्रति अपनी वफादारी दिखने को अभिशप्त नजर आ रही है।

दरअसल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ही अपनी-अपनी तरह के 'मिलीभगत पुलिस' के शातिर ब्रांड बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नागरिकता कानून विरोधी आन्दोलन को कुचलने में बढ़-चढ़ कर योगी ब्रांड के प्रति वफादारी का बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया और उन पर सांप्रदायिक आधार पर कई जगह मनमाने तरह से स्वयं तोड़-फोड़ और हिंसा करने के गंभीरतम आरोप भी लगे। हालाँकि, इस बीच न्यायिक दखल ने योगी के मंसूबों को एक हद तक लगाम दी है।

उत्तर प्रदेश में सभी प्रमुख आन्दोलनकारियों की सेशन अदालतों से जमानत होने से पुलिस आतंक के बेलगाम होने पर फर्क पड़ा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब योगी प्रशासन से पुलिस की गुंडागर्दी से प्रभावित लोगों की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब कर ली है। उधर सर्वोच्च न्यायालय ने भी योगी सरकार के विरुद्ध दाखिल जन-हित याचिका पर जवाब माँगा है जिसमें बिना किसी साक्ष्य के लोगों से अँधा-धुंध आर्थिक हर्जाना वसूलने के सैकड़ों नोटिसों को चुनौती दी गयी है।

दिल्ली में भी अमित शाह ब्रांड की मिलीभगत पुलिसिंग पर लगाम तभी लग पायेगी जब दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का प्रभावी दखल सामने आये। तब तक दिल्ली पुलिस को अमित शाह की छवि में ही देखने की आदत डालनी होगी।

एनजीटी को भी 'मज़दूर मोर्चा' की बात समझ आ गई

नगर निगम पर लगा 1.65 करोड़ का जुर्माना अफ़सरों की जेब से वसूला जायेगा

मज़दूर मोर्चा के पिछले अंक में पाठक पढ चुके हैं कि किस तरह से सैक्टर 48 के सीवेज प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने फ़रीदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन पर 1.65 करोड़ का जुर्माना लगाया था जिसे एमसीएफ़ ने तुरंत-फुरंत जमा भी करवा दिया था।

'मज़दूर मोर्चा' ने यह भी लिखा था कि इससे एमसीएफ़ के अफ़सरों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सुधार तो तभी हो सकता है जब ये जुर्माना सरकारी खजाने से न जाये बल्कि उन निकम्मे अफ़सरों की जेब से निकाला जाये जो इसके लिये जिम्मेवार हैं। लगता है कि एनजीटी के ज्ञानी न्यायाधीश को हमारी 'मन की बात' पता चल गयी और उन्होंने ये जुर्माना एमसीएफ़ के 'डाकूओं' से वसूल करने के आदेश दिये हैं।

संक्षेप से किस्सा इस प्रकार है कि फ़रीदाबाद के सेक्टर 48 में मार्केट बनाने के लिये छोड़ी गयी ज़मीन में पानी भर जाता है। 2016 में 'हुडा' से सेक्टर नगर निगम को चला गया लेकिन समस्या ज्यों की त्यों रही। आखिर में जब सेक्टर की आर.डब्लू.ए.व जन कल्याण समिति, समस्या के निदान के लिये, नगर निगम व 'हुडा' के चक्कर काटकर थक गयी तो उन्होंने एनजीटी में केस डाल दिया। एनजीटी ने नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया और एक महीने के अंदर अधिकारियों को सेक्टर में जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिये योजना बनाने को भी कहा।

नगर निगम ने उक्त जुर्माना भरने में जरा भी देर नहीं लगाई क्योंकि पैसा जनता की जेब से जाना था। अब क्योंकि पैसा जनता की जेब से गया था इसलिये निगम अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा। इसके चलते पर्यावरण विभाग फ़िर से नगर निगम पर एक करोड़ पन्द्रह लाख का जुर्माना लगा दिया। इस जुर्माने को भरने में भी निगम अधिकारियों ने कोई देर नहीं लगाई। लेकिन अब एनजीटी के आदेशानुसार इन अफ़सरों को जेब से पैसा भरना पड़ेगा तो अगला जुर्माना लगने से बचा जा सकेगा।

बताया जाता है कि 22 जनवरी को सुनाये अपने आदेश में अब एनजीटी ने सरकार से कहा है कि वह इस जुर्माने की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से करे। इसके लिये 38 अधिकारियों की सूची बनायी गयी है जिनमें पांच तो चीफ़ इन्जीनियर हैं या रह चुके हैं। इनके नाम डी. आर भास्कर, ओ. पी गोयल, बी.एस सिंगरोहा आदि हैं। दीपक किंगर जो 'जो स्मार्ट सिटी' प्रोजेक्ट में चीफ़ इन्जीनियर बन कर गये हुये हैं उनका भी इस सूची में नाम है। जो यहां इतना भ्रष्टाचार करके गये हुये हैं वो वहां जाकर शहर को क्या 'स्मार्ट' बनायेंगे ये तो राम जाने। लेकिन इस लिस्ट में निगम के लगभग सारे इंजीनियरों के नाम हैं। अगर नगर निगम 1.65 करोड़ रुपये उनकी रिटारमेंट तक भी वसूल कर पाया तो ये उसके लिये बड़ी उपलब्धि होगी।

कोर्ट ने इन अफ़सरों की इस काली करतूत और निकम्मेपन का जिक्र इनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में भी करने को कहा है ताकि इनकी अगली प्रोमोशन आसानी से न हो। लेकिन भ्रष्टाचार के जिस हमाम में से लेकर ऊपर तक के सारे अफ़सर व नेता नंगे कूदते नहाते हों, वहां ऐसा कुछ हो पायेगा यह तो समय ही बतायेगा। अभी तो इस साहसिक आदेश के लिये एनजीटी को बधाई। हमें इन्तजार रहेगा उस समय का जब एनजीटी अपने इस आदेश को लागू करवा पायेगा क्योंकि सरकारी संत 'श्री श्री' पर भी दो-तीन साल पहले, यमुना पर एक कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने के कारण, एनजीटी ने जुर्माना लगाया था। लेकिन उसे वसूल नहीं कर पाया था। क्योंकि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आना था तो एनजीटी ने उनके सामने लीद कर दी थी। आशा है अब ऐसा नहीं होगा।

-अजातशत्रु

तुर्की-ब-तुर्की : निर्मला सीतारमण का बजट

संसद में बजट पेश करते हुए जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीडीपी 2020-21 में 10 प्रतिशत होगी, स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी। शायद यही बजट का सबसे बड़ा झूठ था? हे राम....

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार निर्मला सीतारमण ने बजट का शेयर मार्केट से संबंध टूटने नहीं दिया। यह बजट का सबसे बड़ा सच था। हे राम भक्त....